राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 141/2019

1. छाजूराम पुत्र जीवणराम
2. तीजा देवी पुत्री जीवणराम
3. मूली देवी पुत्री जीवणराम
4. महाराम पुत्र जीवणराम
5. माडी उर्फ सन्तोष पुत्री जीवणराम
6. सुरेश कुमार पुत्र जीवणराम
7. सिणगारी पुत्री जीवणराम जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाली तन् संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. बद्रीप्रसाद दत्तक पुत्र हरनारायण
2. अणची पत्नी झूंथा
3. अमरसिंह पुत्र बीरबल
4. ग्यारसी पुत्री इन्द्राज
5. ग्यारसीलाल पुत्र भागीरथ
6. गुरूदयाल पुत्र पालाराम
7. गिरधारी पुत्र झूंथाराम
8. जसवन्त पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी ढाणी ढहरवाली तन् संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. दुर्गाराम पुत्र गोमाराम जाति .... निवासी ढाणी ढहरवाली तन् संजयनगर तहसील खेतड़ी
10. दलीप कुमार पुत्र बीरबल
11. धर्मवीर पुत्र शीशराम
12. धड़का देवी पत्नी धारीराम
13. दलीप पुत्र धारीराम
14. जगदीश पुत्र धारीराम
15. सुरेश पुत्र धारीराम
16. बिमला पुत्री धारीराम
17. नरेश पुत्र चन्दगी
18. पितराम पुत्र जगनाथ जाति माली
19. बने सिंह पुत्र जगनाथ जाति माली
20. बहादुर पुत्र बीरबल
21. मुखाराम पुत्र भागीरथ
22. मदन सिंह पुत्र पालाराम
23. महाकोर पुत्री अर्जुन
24. महासिंह पुत्र जगन्नाथ जाति माली
25. मालीराम पुत्र भागीरथ
26. यादराम पुत्र झूंथा

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:05:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

27. रणजीत पुत्र भागीरथ
28. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति माली
29. रोहिताश पुत्र बीरबल
30. रोहिताश पुत्र झूंथा
31. विजेश पुत्र चन्दगी
32. शेरसिंह पुत्र पालाराम
33. श्रीराम पुत्र बीरबल
34. शांति देवी पुत्री जगन्नाथ जाति माली
35. शांति देवी पत्नी चन्दगीराम
36. समाकोर पुत्री अुर्जन
37. सरवती पुत्री इन्द्राज
38. सुवालाल पुत्र जगनाथ
39. सहीराम पुत्र पालाराम
40. हरदयाल पुत्र जगनाथ निवासीगण ढाणी ढहरवाला ग्राम संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
41. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
42. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबंधक।
43. राजस्थन राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक :– 04–09–2020

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम संजयनगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 190 के हाल ख.नं. 2361 रकबा 0.07 है., ख.नं. 2362 रकबा 0.15 है., ख.नं. 2363 रकबा 0.28 है., ख.नं. 2365 रकबा 0.06 है., ख.नं. 2366 रकबा 0.31 है., ख.नं. 2367 रकबा 0.14 है., ख.नं. 2369 रकबा 0.19 है., ख.नं. 2370 रकबा 0.10 है., ख.नं. 3677 रकबा 0.26 है., ख.नं. 3683 रकबा 0.12 है., ख.नं. 3684 रकबा 0.34 है., ख.नं. 3686 रकबा 0.20 है., ख.नं. 3688 रकबा 0.44 है. कुल किता 13 कुल रकबा 2.66 है. भूमि वादीगण व वादीगण की माता नानची देवी पत्नी जीवणराम व प्रतिवादी बद्रीप्रसाद पुत्र जीवणराम का 1/14 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 लगाय. 40 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण व वादीगण की माता नानची देवी पत्नी जीवणराम व प्रतिवादी बद्रीप्रसाद पुत्र जीवणराम का 1/14 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त भूमि में वादीगण का 7/126 हिस्सा तथा वादीगण की माता नानची देवी का 1/126 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 बद्रीप्रसाद का 1/126 हिस्सा हुआ। वादीगण की माता नानची देवी का देहान्त हो चुका है एवं वादीगण का भाई प्रतिवादी सं. 1 बद्रीप्रसाद, हरनारायण के गोद चला गया और हरनारायण के देहान्त होने पर वाद वर्णित भूमि में दत्तक पुत्र बद्रीप्रसाद के नाम नामांतकरण दर्ज होकर खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज हो चुकी है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 जब गोद चला गया तो जीवणराम की सम्पति में उसका कोई हक व हिस्सा कानूनन नहीं है। उक्त वर्णित भूमि में नानची देवी पत्नी जीवनराम हिस्सा 1/126, बद्रीप्रसाद पुत्र जीवणराम हिस्सा 1/126 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को नानची देवी व बद्रीप्रसाद के हिस्से काखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में है तथा वादीगण अपने को नानची देवी पत्नी जीवनराम हिस्सा 1/126, बद्रीप्रसाद पुत्र जीवणराम हिस्सा 1/126 का अपने को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। इसलिये अब उक्त वाद वर्णित भूमि में प्रत्येक वादीगण का 1/98, 1/98 हिस्सा अर्थात् 1/14 हिस्सा हो गया जिसके वादीगण खातेदार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:05:41 IST
Reason: SelfAttested

S... with CamScanner

करवाने के अधिकारी है। इसलिये वादीगण को यह वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम संजयनगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 190 के हाल ख.नं. 2361 रकबा 0.07 है., ख.नं. 2362 रकबा 0.15 है., ख.नं. 2363 रकबा 0.28 है., ख.नं. 2365 रकबा 0.06 है., ख.नं. 2366 रकबा 0.31 है., ख.नं. 2367 रकबा 0.14 है., ख.नं. 2369 रकबा 0.19 है., ख.नं. 2370 रकबा 0.10 है., ख.नं. 3677 रकबा 0.26 है., ख.नं. 3683 रकबा 0.12 है., ख.नं. 3684 रकबा 0.34 है., ख.नं. 3686 रकबा 0.20 है., ख.नं. 3688 रकबा 0.44 है. कुल किता 13 कुल रकबा 2.66 है. में नानची देवी पत्नी जीवणराम के 1/126 हिस्से का व बद्रीप्रसाद पुत्र जीवणराम के 1/126 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण को संयुक्त रूप से 1/14 हिस्से का बहिस्सा बराबर संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जावे तथा नानची देवी पत्नी जीवणराम व बद्रीप्रसाद पुत्र जीवणराम का नाम हजफ किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2063–66 खाता सं. 136 (प्रदर्श–2), फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र नानची देवी (प्रदर्श–3ए), नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 190 ग्राम संजयनगर (प्रदर्श–1) पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र महाराम पुत्र जीवणराम का भी पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाबदावा मय राजीनामा के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम संजयनगर तहसील खतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता सं. 190 खसरा नंबर 2361, 2362, 2363, 2365, 2366, 2367, 2369, 2370, 3677, 3683, 3684, 3686, 3688 कुल किता 13 कुल रकबा 2.66 है. भूमि में नानची देवी पत्नी जीवणराम के 1/126 हिस्से का व बद्रीप्रसाद पुत्र जीवणराम के 1/126 हिस्से का वादीगण को संयुक्त रूप से 1/14 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार नानची देवी पत्नी जीवणराम व बद्रीप्रसाद पुत्र जीवणराम का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/9/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:05:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner